C.f. 14

[illegible]

260 —

SECRETARY
Chandrawati Devi Jharkhande Singh Smriti Trust
Shivrampur (khurd), Ratanupur, Karakat
Jaunpur (U.P.)

न्यायालय उपजिलाधिकारी केराकत।
वाद सं0 / धारा 143 ज0वि0अधि0
मौजा रतनूपुर परगना व तहसील केराकत
जनता डिग्री कालेज रतनूपुर बनाम गॉवसभा

आदेश

प्रस्तुत वाद जनता डिग्री कालेज रतनूपुर केराकत जौनपुर द्वारा प्रबनधक श्री ओंकार सिंह पुत्र झारखण्डे सिंह निवासी शिवरामपुर खुर्द परगना व तहसील केराकत ने गॉवसभा रतनूपुर द्वारा प्रधान मौजा रतनूपुर व सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा कलेक्टर साहब जौनपुर को प्रतिवादी बनाते हुए अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0 इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया है कि आराजी निजाई 75मि0/0012, 77/0–243, 78/1–036, 86/0–372, 89/0–890 स्थित मौजा रतनुपुर के हम वादी संक्रमणीय भूमिधर है। वादी ने अपनी आराजियात मे विद्यालय डिग्री कालेज के रूप मे प्रयोग कर रहा है। मौके पर कृषि कार्य नही होता है। अन्य अभिकथन करते हुए अन्त में याचना किया है कि उपरोक्त आराजियात को अकृषिक घोषित करने का अनुरोध किया है। साथ मे खतौनी सन् 1413 से 1418 संलग्न किया है।

तहसील से आख्या प्राप्त की गयी जो दिनांक 21–11–11 को तहसीलदार केराकत द्वारा अग्रसारित करते हुए पत्रांवली न्यायालय में उपलब्ध करायी गयी। नायब तहसीलदार की आख्या के अनुसार ग्राम रतनूपुर परगना व तहसील केराकत की खतौनी सन् 1413 से 1414फ0 के खाता सं0 63 पर जनता डिग्री कालेज के नाम आराजी नं0 75मि0/0–012, 77/0–243, 78/1–036, 86/0–372, 89/0–890 कुल 5 गाटा रकबा 2–553 भू0रा0 63–10 संकमणीय भूमिधर के खाते म अंकित है जिसमें मौके पर जनता डिग्री कालेज रतनूपुर का विद्यालय भवन, कैन्टीन, फायरिंग रेंज मैदान, विद्यालय का खेल का मैदान बना है जिसमें खेती नही होती है। मौके पर चहारदीवारी से घिरा व गेट लगाकर विद्यालय भवन आदि के रूप में प्रयोग की जाती है। जो अकृषिक घोषित किये जाने मे कोई विधिक अडचन नही है। साथ मे नजरी नक्शा व नियम 135 के अन्तर्गत प्रपत्र भी प्रस्तुत किया है तथा स्थल का प्रमाणित फोटो भी साथ में संलग्न है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रांवली में उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि ग्राम रतनूपुर परगना व तहसील केराकत मे स्थित आराजियात उपरोक्त पर जनता डिग्री कालेज का नाम अंकित है। जिसमें विद्यालय भवन व खेल का मैदान आदि दर्शाया गया है जिसमें कृषि कार्य नही होता है। इसप्रकार उपरोक्त आराजियात अकृषिक घोषित किये जाने कोई विधिक अडचन नही है। तहसीलदार केराकत की आख्या 21–11–11 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार केराकत की आख्या दिनांक 21–11–11 स्वीकार करते हुए ग्राम रतनूपुर परगना व तहसील केराकत की आराजी सं0 75मि0/0–0120, 77/0–243, 78/0–036, 86/0–372, 89/0–890 को अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुताबिक परता मुक्त किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो। वाद अनुपालन पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

(राजेन्द्र कुमार)
उप जिलाधिकारी,
केराकत।

SECRETARY
Chandrawati Devi Jharkhande Singh Smriti Trust
Shivrampur (khurd), Ratanupur, Kerakat
Jaunpur (U.P.)